"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2007—वैशाख 28, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—श्री संजय गर्ग भा. प्र. से. (के. एल. 1994) कलेक्टर, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव से पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संचालक, कोष एवं लेखा एवं अपर आयुक्त, आबकारी, को अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं अपर आयुक्त, आबकारी के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही संचालक, कोष एवं लेखा का प्रभार यथावत् बना रहेगा.

3. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000), संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल, 2007

क्रमाक एफ 14-3/2005/1-8.—श्री संजय गौड़, सहायक आयुक्त कार्यालय आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवायें आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से लेते हुये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप संचालक के पद पर आदिमजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2007

क्रमांक ई-7/3/2007/1/2.—सुश्री आर. संगीता, भा.प्र.से. सहायक कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 14-5-2007 से 31-5-2007 (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 मई 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री आर. संगीता आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री आर. संगीता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आर. संगीता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर दिनांक 1 मई 2007

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से., संचालक, उद्योग, छ. ग. एवं प्रबंध संचालक, सीआईडीसी, रायपुर को दिनांक 1-5-2007 से 11-5-2007 (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 मई, 2007 को शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार, आगामी आदेश तक संचालक, उद्योग छ. ग. प्रबंध संचालक, सीआईडीसी, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बेहार, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर दिनांक 5 मई 2007

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.—श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर को दिनांक 22-7-2006 से 11-8-2006 तक (21 दिवस) का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 अगस्त, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2007

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-1-2007 द्वारा श्री अन्बलगन पी. भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दन्तेवाड़ा को दिनांक 11-1-2007 से 25-1-2007 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. को दिनांक 26-1-2007 से 9-2-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 फरवरी, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2007

क्रमांक 748/263/2007/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, गृह विभाग को दिनांक 30-4-2007 से 5-5-2007 तक 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-4-2007 एवं 6-5-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लिखार को प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2007

क्रमांक 752/268/2007/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, वन विभाग को दिनांक 25-4-2007 से 11-5-2007 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 एवं 13-5-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजुरकर को प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो, प्रमुख सचिव के स्टाफ आफिसर, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक 256/300/2007/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सी) के स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-4-2007 से 8-5-2007 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को ओ.एस.डी. (सी) के स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. आर. ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो, ओ. एस. डी. (सी) के स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक 258/267/2007/1-8/स्था.—श्री ए. के. भट्ट (भावसे), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 13-3-2007 से 30-3-2007 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. भट्ट को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2007

क्रमांक 261/339/2007/1-8/स्था.—श्री सुधाकर सोनवाने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 7-5-2007 से 11-5-2007 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुधाकर सोनवाने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधाकर सोनवाने अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 263/290/2007/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल (राप्रसे) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 21-5-2007 से 8-6-2007 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग लाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
D. K. S. BHAWAN, MANTRALAYA, RAIPUR

Raipur, the 1st May 2007

No. 3854/XXI-B/C.G./07.—In order to remove the doubts, the State of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the department order No. 13040/XXI-B/C.G./06, dated 31-10-2006, namely ;—

AMENDMENT

In the said order ;—

(1) After para-4 of clause (1), the following new para shall be inserted ;—

"(4-A) If any of the spouse is judicial officer and accommodation is alloted to the spouse who is not judicial officer, in such case the judicial officer residing with his/her spouse in the said accommodation shall be entitled for water and electric charges."

(2) In para-G of clause (15) of the order, the entry No. 4 i.e. "12850-17750-E" shall be omitted and in 6th line for the figure "23850" the figure "22850" shall be substituted.

(3) After para-8 of Clause (7), the following explanation shall be added ;—

"Explanation :—Retired judicial officer shall submit their Bills for medical re-imbursement before District Judge of the District where they receive their pension from the Treasury and the District Judge, after examination, will accord sanction and submit the Bill to Treasury for reimbursement.".

(4) After clause (19), the following note shall be added ;—

"Note : The Medical Allowance as provided under clause (8) and Domestic Help Allowance as provided under clause (18) to retired judicial officers shall be paid to them alongwith their regular pension."

(5) In the last para, after the words "respective department" the words" and Medical re-imbursement, Medical Allowance and Domestic Help Allowance of the retired judicial officer shall be debited under the main head-2071-Pension and Other Retiral Benefits-01-Civil-800 Other Head" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. P. SHARMA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 मई, 2007

क्रमांक 3952/1278/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एम. के. गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर, जिला-कांकेर को कांकेर जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नियुक्त करता है तथा यह निर्देश देता है कि वे उक्त संहिता के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक 811/2016/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-474/2016/32/2006 दिनांक 12-3-2007 द्वारा बिलासपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

बिलासपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तिफरा प.ह.नं.-23	1416/1क, ख ग, घ, ङ एवं च	25 एकड़ (10. 12 हेक्टेयर)	आवासीय, शैक्षणिक एवं आमोद-प्रमोद (पर्यावरण वानिकी)	विशेषीकृत वाणिज्यिक (थोक फल एवं सब्जी मण्डी)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-3-89/2006/गृह/दो.—दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारिणी में चर्चित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नं. 3 में चर्चित पुलिस थाना के उक्त सारिणी के कालम 4 की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम 3 में चर्चित थाना के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करते हुए कालम नंबर 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	नवीन थाना की स्थापना	उस पुलिस थाना का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें ये अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र		
			ग्राम का नाम	वार्ड नं.	प. ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खुर्सीपार जिला दुर्ग	छावनी जिला दुर्ग	जोन-1, गौतम नगर	29	55
			जोन-2, राजीव नगर	33	55
			जोन-2, बापू नगर	33	55
			जोन-2, न्यू बालाजी नगर	33	55
			जोन-2, बालाजी नगर	32	55
			जोन-2, शास्त्री नगर	30	55
			जोन-2 एकता नगर	31	55
			जोन-2, शहीद वीरनारायण नगर	28	55
			जान-2, शिवाजी नगर	28	55
			जोन-2, एचएससीएल कालोनी	28	55
			जोन-2, बीबीसी कालोनी	28	55
			जोन-2, केएलसी खुर्सीपार	28	55
			जोन-3, बीएसपी क्षेत्र	34	55
			जोन-2 दुर्गा मंदिर लेबर कालोनी	35	55
			न्यू खुर्सीपार	36	55
			मोर गंवईगांव मोहल्ला	36	55
			सिन्धी मोहल्ला	36	01
			बिहारी मोहल्ला	36	01
			शनि मंदिर मोहल्ला	36	01
			नागपुर इंजिनियरिंग कम्पनी	17	52
			लक्ष्मण नगर	17	52
			औद्योगिक क्षेत्र छावनी	17	52

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-7/दो/गृह/07.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश केशी	प्रबन्धक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2007.

क्रमांक एफ-9-44/दो/गृह/07.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "स्विच गेयर तथा संरक्षण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री एस. भारती	उप-अभियंता
2.	श्री सी. एस. खान्डे	सहायक अभियंता (वि.सु.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, उप-सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 3-4/दो (तीन-जेल)/07.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ प्रीजन प्रोवेशन रूल्स 1964 के नियम 6 (5) के अनुसार श्री तरल मोदी, मोदी संस मालवीय रोड रायपुर को तीन वर्ष के अवधि के लिये अस्थाई रूप से राज्य परिवीक्षा मण्डल के अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 2296/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2007.

विषय :- औद्योगिक/पेयजल उपयोग हेतु जल आवंटन/आरक्षण/स्वीकृति के एवज में कमिटमेंट चार्जेस (Commitment Charges) के निर्धारण बाबत्.

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, दिनांक 20-02-2004 द्वारा संपूर्ण राज्य में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नगरीय निकायों, शासकीय एवं अर्ध शासकीय विभागों को शासकीय/नैसर्गिक स्रोतों से औद्योगिक/पेयजल उपयोग हेतु जल आवंटन/आरक्षण/स्वीकृति के एवज में कमिटमेंट चार्जेस का निर्धारण किया गया है, एवं इस अधिसूचना में शासन के संशोधन पत्र क्र.-1942/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, दिनांक 30-02-2007 द्वारा संशोधन जारी किया गया है.

विषयांतर्गत प्रकरण में उपरोक्तानुसार जारी अधिसूचना दिनांक 20-02-2004 एवं संशोधन दिनांक 30-03-2007 को एकजाई कर कमिटमेंट चार्जेस (Commitment Charges) के निर्धारण बाबत् निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राज्य शासन द्वारा शासकीय/नैसर्गिक स्रोत से जल आवंटन/आरक्षण के निर्णय लिए जाने पर संबंधित संस्थान द्वारा आवंटन आदेश के पूर्व रुपये 25,000.00 (रु. पच्चीस हजार) प्रति मिलियन घनमीटर की दर से कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान जल संसाधन विभाग को किया जायेगा. तत्पश्चात् ही विभाग द्वारा जल आवंटन/आरक्षण संबंधी औपचारिक अनुमति पत्र जारी किया जायेगा. यह राशि नियमित जल कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नहीं होगी और न ही वापसी योग्य होगी.

2. आवंटित जल की मात्रा के आधार पर शासकीय/नैसर्गिक स्रोत से जल के उपयोग के लिए निर्धारित अवधि में छूट निम्नानुसार होगी :-

2.1 औद्योगिक संस्थानों को औद्योगिक जल प्रदाय :—

श्रेणी	आवंटित जल की मात्रा	छूट अवधि (आवंटन/आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से)
i	10 मिलियन घ. मी. प्रतिवर्ष तक	2 वर्ष
ii	10 से 25 मिलियन घ. मी. प्रतिवर्ष तक	3 वर्ष
iii,	25 मिलियन घ. मी. प्रतिवर्ष से अधिक	4 वर्ष

2.2 नगरीय एवं स्थानीय निकायों को पेजयल प्रदाय :—

श्रेणी	आवंटित जल की मात्रा	छूट अवधि (आवंटन/आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से)
i	30 मिलियन घ. मी. प्रतिवर्ष तक (लगभग 1 टी. एम. सी.)	2 वर्ष
ii	30 से 150 मिलियन घ. मी. (लगभग 1 से 5 टी. एम. सी.) प्रतिवर्ष तक.	3 वर्ष
iii	150 मिलियन घ. मी. (लगभग 5 टी. एम. सी.) प्रतिवर्ष से अधिक.	4 वर्ष

3. उपरोक्तानुसार निर्धारित छूट अवधि के पश्चात् भी आवंटिती द्वारा यदि शासकीय स्त्रोत से जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो प्रथम वर्ष में आवंटित/आरक्षित जल की संपूर्ण मात्रा का 5 प्रतिशत अंश एवं दूसरे वर्ष में 10 प्रतिशत अंश की जल कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अंदर जमा करनी होगी.

4. नैसर्गिक स्त्रोत से जल आहरण पर, उक्तानुसार शासकीय स्त्रोत से जल आहरण हेतु कंडिका-3 के अनुसार निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा.

5. निर्धारित अवधि के बाद बिना अनुबंध के आवंटित/आरक्षित जल का आंशिक उपयोग प्रारंभ किया जाता है, तो शेष जल के लिए, शेष जल की मात्रा के 50 प्रतिशत अंश की जल कर राशि या सिंचाई अधिनियम 1974 की धारा 44 के नियम 73 के अधीन बिना अनुबंध के कारण शास्ति स्वरूप लगायी जाने वाली जल कर की राशि में से जो भी अधिक होगी, वह देय होगी. यह राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अंदर देय होगी एवं तत्काल अनुबंध करना अनिवार्य होगा अन्यथा जल आवंटन निरस्त किया जायेगा. यदि आवंटिती द्वारा अनुबंध करने के पश्चात् भी, उन्हें आवंटित जल का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा उपयोग न किये जा रहे जल की मात्रा के अनुसार उनका स्वीकृत जल आवंटन कम किया जा सकेगा. जल विद्युत प्रयोजन संबंधी प्रकरणों में यह शर्त लागू नहीं होंगी.

6. निर्धारित अवधि में कंडिका 3 एवं 4 की राशि के भुगतान न करने की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि वसूल की जायेगी.

7. छूट अवधि के उपरांत दो वर्षों के बाद भी यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से जल आवंटन/आरक्षण स्वमेव समाप्त माना जायेगा एवं शासन को इस जल को अन्य किसी के उपयोग हेतु आवंटित/आरक्षित करने की स्वतंत्रता होगी.

8. यह आदेश उन प्रकरणों के लिये भी प्रभावशील होगा, जिनमें "कमिटमेंट चार्जेस" वसूल किये जाने की शर्त पर जल आवंटन किया गया है.

9. जल विद्युत उत्पादन के प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुन: प्राप्ति) हेतु जल उपयोग की स्वीकृति संबंधी प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा शासकीय/नैसर्गिक स्त्रोत से जल उपयोग की स्वीकृति का निर्णय लिये जाने पर संबंधित संस्थान द्वारा आवंटन आदेश के पूर्व रुपये 25,000.00 (रु. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट की दर से कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान जल संसाधन विभाग को किया जायेगा. तत्पश्चात् ही विभाग द्वारा स्वीकृति संबंधी औपचारिक अनुमति पत्र जारी किया जायेगा. यह राशि नियमित जल कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नहीं होगी और न ही वापसी योग्य होगी. शासकीय/नैसर्गिक स्त्रोत से जल विद्युत गृहों को जल उपयोग की स्वीकृति के एवज में जल का उपयोग प्रारंभ करने की समय-सीमा (छूट अवधि), जल विद्युत गृह की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार 10 मेगावाट प्रतिवर्ष तक 2 वर्ष, 10 से 25 मेगावाट प्रतिवर्ष तक 3 वर्ष एवं 25 मेगावाट प्रतिवर्ष से अधिक हेतु 4 वर्ष रहेगी. इसके साथ ही जल विद्युत प्रयोजन संबंधी प्रकरणों में निर्धारित छूट अवधि के पश्चात् भी आवंटिती द्वारा यदि शासकीय स्त्रोत से जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो जल विद्युत गृह की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 5 प्रतिशत अंश की जल कर राशि प्रथम वर्ष में एवं 10 प्रतिशत अंश की जल-कर राशि दूसरे वर्ष में अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अंदर जमा करनी होगी. जल विद्युत प्रयोजन संबंधी प्रकरणों में कंडिका क्र.-4, 6, 7 एवं 8 के अनुसार निर्धारित शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 12/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पडरिया	1.971	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 13/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अमारू	1.739	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 मई 2007

क्रमांक 662/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खर्रा प. ह. नं. 25	0.43	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भन्सुली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक 438/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	डौण्डीलोहारा प. ह. नं. 25	0.87	कार्यपालन अभियंता, सह सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-दुर्ग.	डौण्डीलोहारा से मड़िया कट्टा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक 825/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	सुरसुली प. ह. नं. 8	0.38	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग, रायपुर.	नाहंदा, सुरसुली, किसना मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2007

क्रमांक 827/प्र. 1/भू-अर्जन/अ.वि.अ/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	किसना प. ह. नं. 4	1.15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रायपुर संभाग, रायपुर.	नाहंदा, सुरसुली, किसना मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 मई 2007

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	जेवरी प. ह. नं. 32	0.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुडी व्यपवर्तन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 मई 2007

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	अमोरा प. ह.नं. 32	0.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	अमोरा माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 मई 2007

क्रमांक/08/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	अडबंधा प. ह. नं. 9	0.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बोहारडीह माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/57.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झालरौदा प.ह.नं. 03	0.258	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	झालरौदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 222 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजने का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	तुषार प.ह.नं. 13	1.381	मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र.-3 सक्ती.	कचंदा उप वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 223 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कलमीडीह प.ह.नं. 11	0.048	कार्यपालन अभि. मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	कलमीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 224 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	तुषार प.ह.नं. 13	0.745	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 3, सक्ती.	बरदुली डिस्ट्री नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 225 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोमो प.ह.नं. 3	2.333	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	कोमो माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2007

क्रमांक/222/अविअ./भू-अर्जन/08/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	राजिम	0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन / सड़क) संभाग, क्र.-3, रायपुर.	राजीव लोचन मंदिर पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे अतरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51/1	0.020
88/13	0.061
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पहुंच मार्ग तक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ठाकुर राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक/222/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ीगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.12
	4	0.19
	9	0.32
योग	3	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आडपाथर जलाशय योजना के अन्तर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक/222/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हडईकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6	0.03
	7/2	0.18
	8	0.08
	9	0.10
	15	0.08
	11	0.08
	52	0.06
	51	0.16
	46	0.18
	50	0.04
	49	0.06
	44/1	0.14
	44/2	0.14
	43	0.02
	42	0.10
	41	0.10
योग	16	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तेल नदी जलप्लावन योजना के अन्तर्गत गाईड बण्ड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक/3174/भू-अर्जन/अ.वि.अ./09/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-तोषगांव, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.54 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1554	1.59
	1514	0.81
	1485	2.02
	1554	0.12
योग	04	4.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लमकेनी जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक/3175/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-गनियारीपाली, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	08	0.35
	16	0.02
	09	0.09
	18	0.03
	22	0.04
योग	05	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना में उलट निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक/3203/भू-अर्जन/अ.वि.अ./12/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-छिर्रापाली, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
378	0.01
430	0.02
225	0.02
320	0.22
353	0.09
441	0.07
318	0.06
420	0.01
373	0.01
428	0.06
421	0.11
376	0.04
223	0.02
427	0.02
429	0.03
314	0.03
319	0.06
444	0.01
226	0.09
375	0.11
227	0.03
313/2	0.10
योग 22	1.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छिर्रापाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक/3201/भू-अर्जन/अ.वि.अ./13/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-बसना
- (ग) नगर/ग्राम-बेलडीह पठार, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198	0.09
15	0.02
68	0.05
150	0.16
321	0.08
200/1	0.01
245	0.08
75	0.26
186	0.09
71	0.23
133	0.10
188	0.01
255	0.09
32	0.05
138	0.04
152	0.07
28	0.18
31	0.05
36	0.02
137	0.06
187	0.04
200/2	0.01
29	0.01
136	0.07
17	0.05
239	0.04
240	0.06
322	0.06
153	0.08
199	0.02
70	0.09
134	0.09
69	0.10
135	0.13
241	0.13

(1)	(2)
243	0.06
37	0.08
34	0.06
151	0.04
33	0.04
254	0.07
योग 41	3.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लमकेनी सरायपाली, जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक/3200/भू-अर्जन/अ.वि.अ./14/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-बेलडीह, प. ह. नं. 13/32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.06
29	0.09
49	0.05
160	0.03
244	0.07
358	0.09
51	0.10
5	0.09
265	0.07
13	0.03
172	0.04
389/803	0.09
20	0.08
1	0.01
254	0.05
15	0.05
8	0.08
338	0.04
262	0.04
350	0.20
50	0.03
70	0.13
30	0.07
245	0.04
246	0.04
48	0.01
67	0.03
79	0.03
359	0.12
169/797	0.10
52	0.06
263	0.04
336	0.03
255	0.04
16	0.03
256	0.03
17	0.08
3	0.01
7	0.05
264	0.05
182	0.01
700	0.03
730	0.01
642	0.02
643	0.04
128, 192, 193	0.01
742/1	0.03
743/2, 745/2	0.01
127	0.02
194	0.03
635	0.02

(1)	(2)
729	0.02
669	0.01
694	0.01
166	0.01
179	0.01
672	0.01
680	0.01
192/792	0.05
632	0.01
737/2	0.01
646/1	0.01
698/2	0.01
739/1	0.02
740/1	0.01
472/4	0.01
743/1, 745/1	0.01
750/2	0.02
167	0.02
178	0.02
169/797	0.01
670	0.03
671	0.04
666	0.03
695	0.03
698/1	0.03
739/2	0.02
750/1	0.02
741/2	0.03
190	0.02
168	0.04
173	0.01
696	0.04
132	0.02
693	0.05
636	0.03
727	0.03
743/3	0.01
745/3	0.01
697	0.02
740/2	0.04
631	0.02
737/1	0.02
181	0.01
योग 98	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 30 अप्रैल 2007

क्रमांक/3202/भू-अर्जन/अ.वि.अ./19/अ-82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-बसना
(ग) नगर/ग्राम-टीपा, प. ह. नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
447	0.06
449	0.51
योग 2	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थीपापानी जलाशय योजना के उलट निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक/3315/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोंहदीकला, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1062/6	0.032
	1062/11	0.065
योग	02	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपनई सेतु के पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 58.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसला, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.732 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	5	0.016
	3/2, 4/2	0.134
	2/2	0.109
	13/1	0.073
	14	0.134
	15/1	0.004
	15/2	0.061
	15/3	0.032
	16/2	0.004
	17/2	0.089
	18/1, 19/1	0.190
	74/1	0.040
	74/2	0.045
	74/3	0.077
	72, 81/1	0.396
	195/1	0.243
	194/1	0.040
	184/1	0.045
योग		1.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसला सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 29/अ-82/2005-2006:—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-कान्हरपुर, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
86/1	0.20
86/2	0.35
87	0.52
23/4	0.01
50	0.01
33/1	0.28
33/2 ग	0.08
22/3	0.24
18	0.14
22/1	0.60
योग 10	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेसुवा व्यपवर्तन योंजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में कियां सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सधवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.80 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/33, 1/34	3.00
1/2, 1/32	1.00
1/24 ख	1.00
1/24 ग	0.10
1/25	2.50
1/37, 1/38	1.00
1/26	2.50
1/4 क	2.00
1/6	0.70
1/39, 1/40	1.00
1/41, 1/42	1.00
1/15	1.00
योग 12	16.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-सारबहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-99.03 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
731/5 ख	0.24
734/2	0.15
735/3	1.00
731/6 क/15/3, 731/6 क/3	1.35
731/6 ह	0.53
731/6 स	1.25
731/6 ञ 3	0.95
732/3	1.40
731/6 द	0.10
731/6 फ	0.54
731/6 ब	1.50
732/2	1.50
731/6 न	0.70
740/5	0.24
731/6 क्ष/1	0.50
732/5	0.60
731/6 ख	1.00
731/5 क	1.16
731/6 ड़	0.46
731/6 ञ 1	0.81
740/3	0.96
735/2	0.21
740/2	0.48
765	0.27
731/6 क/4	3.99
731/6 प/3	0.11
731/6 क /14/2	1:09
731/6 प/13	0.11
731/6 क्ष	1.20
731/6 व	1.73
731/6 क्ष/2	1.00
731/2 र	3.70
731/6 क/15, 731/6 प/14	3.50
734/1	1.55
740/4	0.15
740/6	0.12
767	0.41
768	0.56
770	0.26
731/6 ल	2.34
731/6 म	4.00
731/6 क/28	2.90
731/6 क/23	0.10
735/1	2.57
731/6 क्ष/3	0.80
764	0.78
731/6 क/16	15.00
731/6 ख	1.00
732/1	2.55
731/6 क/14	1.00
731/6 क/20 क	1.45
731/6 प/17 ख	0.05
731/6 क/15/1 , 731/6 प/14/2	2.99
731/6 क/10	0.11
731/6 क/12	9.89
731/6 क/11	0.11
731/6 छ/15/1, 731/6 प/14/1	3.50
731/6 क/17	1.89
731/6 प/14,	0.11
731/6 क/15/1, 731/6 प/14/2	1.98
731/6 ख/2	2.25
732/4	1.85
733/1	0.35
733/2	0.35
740/7	0.73
731/6 क/2, 731/6 प/1	1.00
योग 66	99.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-आंदूल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-49.96 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
474/27	0.66
594/3	1.32
489/4, 527/1 च, 489/4, 527/1 च, 489/4, 527/1 च	0.99
474/23	2.00
474/24	1.90
486	0.35
487/1	0.85
482	0.82
483	0.55
594/4	0.87
484	0.42
485/1	0.20
474/25 क	0.36
594/2	1.73
594/11	0.87
476/2	1.18
489/6, 527/1 क्ष	0.30
474/4, 489/8	1.40
594/8	0.77
489/7	1.90
488	0.53
594/7	0.91
474/33	0.53
474/34	0.30
594/12	0.86
474/25 ग	1.33
489/7	0.30
527/1 ग	0.40
474/40 क	0.31
474/25 ख	0.31
474/1	0.10
474/2	2.50
475/2	0.32
475/1	0.10
476/1	3.92
480	1.70
487/2	0.20
474/14	3.50
474/15 ख	1.50
474/16	0.65
594/9	1.50
474/21	1.30
474/40 ख, 481/1	1.25
474/42, 481/3	0.26
474/22	0.75
474/19	0.85
474/15 क	1.50
474/20	1.25
474/40 ख, 481/2	0.56
474/43, 481/4	1.03
योग 50	49.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

प्र. क्रमांक 7/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-लोरमी
(ग) नगर/ग्राम-पीपरखुंटा, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.41 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
152/1	0.15
132	0.56
133	0.28
130	0.01
120	0.06
2	1.07
131	0.79
121/2, 122/2, 123/3	0.52
119	1.00
118/1, 118/3	2.59
110/1	0.49
108	0.15
106/1	0.16
106/2	0.16
107	0.06
104, 105	0.54
99/1	0.35
99/2	0.36
98/1	0.46
92	0.47
150/2	0.20
2	0.67
91	0.81
87/5	0.06
90/1	0.16
86/1, 86/5	0.73
84/1, 85/1	0.27
84/3, 85/3	0.25
84/5, 85/5	0.28
84/2, 85/2	0.33
75	0.28
146/1	0.33
146/2	0.26
146/3	0.26
144/3	0.58
144/5	0.29
150/1	0.16
योग 35	15.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पदमपुर डायवर्सन नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007.

प्र. क्रमांक 11/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-सकोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
814/1	0.09
709/2	0.08
योग 2	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक/36/भू-अ/स.अ.भू-अ-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़, भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं गणेश शंकर मिश्रा कलेक्टर जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील जगदलपुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्नसूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्रमांक	तहसील का नाम	रा. नि. सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जगदलपुर	चित्रकोट	1. हर्राकोडेर	हर्राकोडेर	
2.				पिच्चीकोडेर	
3.				एरपुंड	
4.				मालेवाही	
5.				पुसपाल (ए)	
6.				बोदेली	
7.				कहचेनार	
8.				सालेपाल	
9.				टेटम	
10.				पावेल	वनग्राम
				योग 10 ग्राम	
11.			2. चंदेला *	चंदेला	
12.				अमलीधार	
13.				कोड़ेनार	
14.				धरमाबेड़ा	
15.				ककनार	
16.				महिमा	
17.				पालन	
18.				पुसपाल (चि)	
				योग- 8 ग्राम	
19.			3. बिन्ता *	बिन्ता	
20.				मुंजेर	विरान
21.				भेजा	
22.				कोरली	
23.				सतषपुर	
24.				रायगोंदी	
25.				सुलेंगा	
26.				करेकोट	
				योग - 8 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.			4. मारडूम	मारडूम	
28.				मटनार	
29.				मेन्द्री	
30.				करकागुड़ा	
31.				मारीकोडेर	
32.				मारेंगा	
				योग- 6 ग्राम	
33.			5. बदरेंगा	बदरेंगा	
34.				हाथीदरहा	
35.				कस्तुरपाल	
36.				लिमउपदर	
37.				एरवार	
				योग 5 ग्राम	
38.			6. मांदर	मांदर	
39.				नेगानार	
40.				इरिकपाल	
41.				कुथर	
42.				छोटेगुमियापाल	
				योग 5 ग्राम	
43.			7. चित्रकोट	चित्रकोट	
44.				पारापुर	
				योग 2 ग्राम	
45.			8. उसरीबेड़ा *	उसरीबेड़ा	
46.				चंदनपुर	
47.				कोड़े बेड़ा	
48.				बड़ेधाराउर	
49.				लोहण्डीगुड़ा	विरान
50.				बेनीधाराउर	
				योग- 6 ग्राम	
51.			9. कुम्हली *	कुम्हली	
52.				छिंदगांव	
53.				धुरागांव	
				योग - 3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54.			10. बड़ांजी	बड़ांजी	
55.				बेलर	
56.				टाकरागुड़ा	
				योग- 3 ग्राम	
57.			11. गढ़िया	गढ़िया	
58.				बेलियापाल	विरान
59.				छोटेपरोदा	
60.				बड़ेपरोदा	
61.				चालकीगुड़ा	
62.				दाबपाल	
63.				कोटियागुड़ा	
				योग- 7 ग्राम	
64.			12. तारागांव	तारागांव	
65.				छिंदबहार	
66.				करकापाल	
67.				बाघनपाल	
68.				एरण्डवाल	
69.				तुर्रेमोरका	
				योग 6 ग्राम	
70.			13. मिचनार	मिचनार	
71.				साडरा	
72.				लखईबेड़ा	
73.				गड़दा	
74.				आदवाल	
75.				बरछेपाल	
				योग 6 ग्राम	
76.			14. अलनार *	अलनार	
77.				सुरगुड़ा	
78.				सुरगुड़ा बोदेनार	
				योग 3 ग्राम	
79.			15. आंजर	आंजर	
80.				एरमुर	
81.				तोयर	
82.				बड़ेगुमियापाल	
83.				सिलिकझोड़ी	
				योग- 5 ग्राम	
				कुल योग-83 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84.	जगदलपुर	बास्तानार	16. मुतनपाल	मुतनपाल	
85.				बुरगुम	
86.				नाकटोका	
87.				तितरी	
88.				सावगेल	
				योग- 5 ग्राम	
89.			17. लालागुड़ा	लालागुड़ा	
90.				सरगीगुड़ा	
91.				तुरांगुर	
92.				पिरमेटा	
93.				जामगांव	
94.				बोरजा	
95.				पुसेम	
96.				बिरगाली	
97.				ढोकम	
				योग- 9 ग्राम	
98.			18. बागमुण्डी पनेड़ा	बागमुण्डी पनेड़ा	
99.				कोरगाली	
100.				कोण्डोली	
101.				वाह्नपुर	
				योग- 4 ग्राम	
102.			19. बास्तानार	बास्तानार	
103.			20. इरपा	इरपा	
104.				परलमेटा	
105.				बड़ेबोदेनार	
				योग- 3 ग्राम	
106.			21. बड़ेकिलेपाल	बड़ेकिलेपाल	
107.			22. बड़ेकाकलुर	बड़ेकाकलुर	
108.				कापानार	
109.				तोयनार	
				योग- 3 ग्राम	
110.			23. साडराबोदेनार	साडराबोदेनार	
111.				पालानार	
112.				कुमारसाडरा	
				योग- 3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
113.			24. छोटेकिलेपाल	छोटेकिलेपाल	
114.				भोसरीरास	
115.				गोरियापाल	
116.				छोटेबोदेनार	
117.				कावानार	
118.				आदवाल	
				योग- 6 ग्राम	
119.			25. कोड़ेनार	कोड़ेनार	
120.				तिरथुम	
121.				बाटकोंटा	
122.				छोटेकाकलुर	
123.				सिलकझोड़ी	
124.				टंगियाझोड़ी	
125.				मांझीभाटा	
				योग- 7 ग्राम	
				कुल योग - 42 ग्राम	
126.	जगदलपुर	केशलूर	26. मावलीभाटा	मावलीभाटा	
127.				मण्डवा	
128.				पथरली उड़वा	
129.				बुरुंगपाल	
130.				गुर्राम	
131.				गाटन	
				योग- 6 ग्राम	
132.			27. सालेपाल	सालेपाल	
133.				बारुपाटा	
134.				कलेपाल	
135.				नैननार	
136.				कामदेवकुरुषपाल	
				योग- 5 ग्राम	
137.			28. रायकोट *	रायकोट	
138.				एरण्डवाल	
139.				दुगनपाल	
140.				मटकोट	
141.				नैनमुर	
				योग - 5 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
142.			29. राजूर	राजूर	
143.				कोयपाल	
144.				परपा	
145.				तोकापाल	
146.				मेटावाड़ा	
				योग- 5 ग्राम	
147.			30. बड़ेआरापुर	बड़ेआरापुर	
148.				तेलगाआरापुर	
149.				एर्राकोट	
150.				भेजरीपदर	
				योग- 4 ग्राम	
151.			31. पलवा *	पलवा	
152.				नवागांव	
153.				बाघनपाल	
154.				बड़ेपाराकोट	
155.				इरीकपाल	
156.				छोटेपाराकोट	
				योग - 6 ग्राम	
157.			32. केशलूर	केशलूर	
158.				सोसनपाल	
159.				कानाकुरुषपाल	
160.				कलेपाल	
161.				डोंगरीगुड़ा	
162.				बुरुंगपाल	
				योग- 6 ग्राम	
163.			33. तेलीमारेंगा *	बड़ेमारेंगा	
164.				तेलीमारेंगा	
165.				गुडरामारेंगा	
166.				डिमरापाल	
				योग- 4 ग्राम	
167.			34. बड़ेमोरठपाल *	बड़ेमोरठपाल	
168.				भड़िसगांव	
169.				छोटेमोरठपाल	
170.				कुरेंगा	
				योग- 4 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
171.			35. करंजी	करंजी	
172.				देउरगांव	
173.				कोहकापाल	
174.				टेकामेटा	
175.				धरगाऊर	
				योग- 5 ग्राम	
176.			36. पोटानार	पोटानार	
177.				टांहकापाल	
178.				गुमियापाल	
179.				टांडपाल	
180.				रानसरगीपाल	
				योग- 5 ग्राम	
181.			37. साकरगांव *	साकरगांव	
182.				बुरजी	
183.				सिरिसगुड़ा	
				योग - 3 ग्राम	
184.			38. छापरभानपुरी	छापरभानपुरी	
185.				सिंगनपुर	
186.				चोंडीमेटावाड़ा	
187.				तारागांव	
188.				सोनारपाल	
				योग- 5 ग्राम	
189.			39. घाटधनोरा *	घाटधनोरा	
190.				टिकराधनोरा	
191.				घाटसरगीपाल	
192.				मरकापाल	
193.				कोण्डालूर	
194.				तोतर	
195.				छिंदबहार	
				योग- 4 ग्राम	
				कुल योग- 70 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
196.	जगदलपुर	बस्तर	40. भोण्ड	भोण्ड	
197.				आड़ावाल	
198.				भरनी	
199.				नारायणपाल	
200.				सालेमेटा	
				योग- 5 ग्राम	
201.			41. चोकर	कोलचुर	
202.				करमरी	
203.				मरलेंगा	
204.				चोकर	
205.				महुपालबारी	
				योग- 5 ग्राम	
206.			42. घाटकवाली *	कुड़कानार	
207.				कविआसना	
208.				किंजोलीपाल	
209.				घाटकवाली	
210.				मुण्डापाल	
				योग - 5 ग्राम	
211.			43. घाट लोहंगा	कुदालगांव	
212.				घाटलोहंगा	
213.				चिड़ई पदर	
214.				टिकरालोहंगा	
				योग- 4 ग्राम	
215.			44. परचनपाल *	महुपालबरई	
216.				परचनपाल	
217.				बांगापाल	
218.				भाटपाल	
219.				टाकरागुड़ा	
220.				भुरसुण्डी	
				योग-6 ग्राम	
221.			45. बस्तर	बस्तर	
222.				सेमलनार.	
223.				बेसरापाल	
				योग- 3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
224.			46. ईच्छापुर	ईच्छापुर	
225.				तालूर	
226.				बागमोहलई	
				योग- 3 ग्राम	
227.			47. खोरखोसा *	खोरखोसा	
228.				मावलीगुड़ा	
229.				पिपलावण्ड	
230.				सितलावण्ड	
				योग- 4 ग्राम	
231.			48. दुबेउमरगांव	दुबेउमरगांव	
232.				गुफनी	
233.				रेटावण्ड	
234.				बालेंगा	
				योग -4 ग्राम	
235.			49. लामकेर	उसरी	
236.				टिकनपाल	
237.				झारतरई	
238.				लामकेर	
				योग- 4 ग्राम	
239.			50. बोड़नपाल *	नंदीसागर	
240.				पराली	
241.				बड़ेचकवा	
242.				बोड़नपाल	
243.				पल्लीचकवा	
				योग-5 ग्राम	
244.			51. मधोता	खोटलापाल	
245.				चितलवार	
246.				रोतमा	
247.				मंधोता	
				योग- 4 ग्राम	
248.			52. भैंसगांव *	बोदरा	
249.				भैंसगांव	
250.				सौरापाल	
				योग- 3 ग्राम	
				कुल योग-55 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
251.	जगदलपुर	भानपुरी	53. कुरुषपाल *	रतेंगा	
252.				नारायणपाल	
253.				कुरुषपाल	
254.				तिरथा	
255.				पश्चिमटेमरा	
256.				पूर्वीटेमरा	
				योग- 6 ग्राम	
257.			54. घोटिया	घोटिया	
258.				सुधापाल	
259.				गुरिया	
260.				जाटनपाल	
261.				पाथरी	
				योग- 5 ग्राम	
262.			55. कावड़गांव	गोंडियापाल	
263.				कावड़गांव	
264.				गुनपुर	
265.				आलवाही	
				योग -4 ग्राम	
266.			56. मादलापाल	कुंगारपाल	
267.				मादलापाल	
268.				चेराकुर	
269.				गुमगा	
				योग- 4 ग्राम	
270.			57. मुण्डागांव *	बड़ेआमाबाल	
271.				मुण्डागांव	
272.				कोहकासिवनी	
273.				मावलीगुड़ा	
274.				राजपुर	
				योग-5 ग्राम	
275.			58. सिवनी	सिवनी	
276.				चमिया	
277.				छोटोआमाबाल	
278.				बड़ेअलनार	
279.				छोटेअलनार	
				योग- 5 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
280.			59. सोनारपाल	देवड़ा	
281.				सोनारपाल	
282.				चपका	
				योग- 3 ग्राम	
283.			60. केशरपाल	कुम्हली	
284.				फाफनी	
285.				मुजला	
286.				तारागांव	
287.				केशरपाल	
288.				नहरनी	
				योग- 6 ग्राम	
289.			61. करंदोला *	करंदोला	
290.				मुरकुची	
291.				बोड़नपाल	
292.				बेसोली	
				योग -4 ग्राम	
293.			62. भानपुरी	भानपुरी	
294.				विश्रामपुरी	
295.				बाकेल	
				योग- 3 ग्राम	
296.			63. सालेमेटा *	सालेमेटा	
297.				खड़का	
298.				छुरावण्ड	
299.				जामगांव	
				योग-4 ग्राम	
300.			64. तुरपुरा	सोरगांव	
301.				पखनाकोंगेरा	
302.				कोटगढ़	
303.				तुरपुरा	
304.				पल्लीभाटा	
305.				खण्डसरा	
				योग- 6 ग्राम	
306.			65. नंदपुरा *	बनियागांव	
307.				नंदपुरा	
				योग- 2 ग्राम	
				कुल योग- 57 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
308.	जगदलपुर	करपावण्ड	66. मंगनार *	मंगनार	
309.				तोंगकोंगेरा	
310.				आमादुला	
				योग- 3 ग्राम	
311.			67. चिउरगांव	चिउरगांव	
312.				सुवाचोण्ड	
313.				बागराय	वनग्राम
314.				सौंरा	
				योग- 4 ग्राम	
315.			68. जैबेल	जैबेल	
316.				छिंदगांव	
317.				चोकनार	
				योग -3 ग्राम	
318.			69. डिमरापाल *	डिमरापाल	
319.				फरसरा	
320.				छोटेजिराखाल	
321.				मरेठा	
				योग- 4 ग्राम	
322.			70. गारेंगा *	गारेंगा	
323.				टेंपलकोमार	
324.				बड़ेजिराखाल	
325.				सतोषा	
				योग-4 ग्राम	
326.			71. करपावण्ड	करपावण्ड	
327.				धनपुर	
328.				बड़ेदेवड़ा	
				योग- 3 ग्राम	
329.			72. कोलावल	कोलावल	
330.				पाथरी	
331.				मैलबेड़ा	
				योग- 3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
332.			73. संदकरमरी *	संदकरमरी	
333.				धनसरा	वनग्राम
334.				पोटियावण्ड	
335.				टुहटीदेवड़ा	
336.				सानदेवड़ा	
				योग- 5 ग्राम	
337.			74. जैतगिरी	जैतगिरी	
338.				सौतपुर	
339.				नरावण्ड	
340.				सोनपुर	
341.				बनियागांव	
				योग- 5 ग्राम	
342.			75. पाहुरबेल *	पाहुरबेल	
343.				बदलावण्ड	
344.				गिरोला	
345.				डुरकाबेड़ा	
				योग -4 ग्राम	
				कुल योग- 38 ग्राम	
346.	जगदलपुर	बकावण्ड	76. बकावण्ड	बकावण्ड	
347.				फरसीगांव	
348.				सिमोड़ा	
349.				कवड़ावण्ड	
350.				उड़ियापाल	
351.				छिनारी	
				योग- 6 ग्राम	
352.			77. सतलावण्ड	सतलावण्ड	
353.				बेलपुटी	
354.				खोटलापाल	
355.				बोरीगांव	
356.				करंजी	
357.				मटनार	
358.				बेड़ागांव	
				योग-7 ग्राम	
359.			78. मूली	मूली	
360.				चापापदर	
361.				चिखलकरमरी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
362.				क्विंजोली	
363.				कुम्हरावण्ड	
364.				बारदा	
				योग- 6 ग्राम	
365.			79. पंडानार *	पंडानार	
366.				नेगानार	
367.				मोहलई	
368.				रामपाल	
				योग- 4 ग्राम	
369.			80. बेड़ाउमरगांव *	बेड़ाउमरगांव	
370.				बोरपदर	
371.				चोलनार	
				योग -3 ग्राम	
372.			81. मोंगरापाल	मोंगरापाल	
373.				कचनार	
374.				भिरलिंगा	
				योग- 3 ग्राम	
375.			82. छोटेदेवड़ा	छोटेदेवड़ा	
376.				झारउमरगांव	
377.				ढोढरेपाल	
378.				मेटावाड़ा	
				योग-4 ग्राम	
379.			83. मालगांव	मालगांव	
380.				धोगीगुड़ा	
381.				इरिकपाल	
382.				कोलचुर उर्फ बम्हनी	विरान
				योग- 4 ग्राम	
383.			84. करीतगांव *	करीतगांव	
384.				जुनवानी	
385.				गुमडेल	
386.				कोरपाल	
387.				कानापाल	
388.				कुरुषपाल	
389.				कोहकापाल	
390.				सुकरापाल	विरान
				योग- 8 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
391.			85. सरगीपाल	सरगीपाल	
392.				मसगांव	
393.				भेजरीपदर	
394.				दसापाल	
395.				राजनगर	
				योग- 5 ग्राम	
396.			86. कौसमी *	कौसमी	
397.				दाबगुड़ा	
398.				कौरटा	
399.				तुंगापाल	
				योग- 4 ग्राम	
400.			87. बजावण्ड	बजावण्ड	
401.				नलपावण्ड	
402.				पीठापुर	
				योग -3 ग्राम	
403.			88. उलनार	उलनार	
404.				पाईकपाल	
405.				तारापुर	
				योग- 3 ग्राम	
406.			89. टलनार *	टलनार	
407.				बनियागांव	
408.				बेलगांव	
409.				चितालूर	
410.				बालपुटी	
				योग-5 ग्राम	
				कुल योग- 65 ग्राम	
411.	जगदलपुर	जगदलपुर (ब)	90. माड़पाल *	माड़पाल	
412.				करनपुर	
413.				भालूगुड़ा	
414.				रामपाल	
				योग- 4 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
415.			91. नगरनार	नगरनार	
416.				उपनपाल	
417.				बिजापुट	
418.				आमागुड़ा	
419.				मंगनपुर	
420.				बम्हनी	
				योग- 6 ग्राम	
421.			92. चोकावाड़ा *	चोकावाड़ा	
422.				बागराउर	वनग्राम
423.				धनपुंजी	
424.				भेजापदर	
425.				खिड़खाड़	विरान
426.				केराझोड़ी	विरान
427.				माचकोट	वनग्राम
428.				कस्तुरी	
				योग- 8 ग्राम	
429.			93. मारकेल	मारकेल	
430.				खमारगांव	
431.				कोपागुड़ा	
432.				खुटपदर	
433.				कुम्हली	
434.				जीरागांव	
				योग -6 ग्राम	
				कुल योग- 24 ग्राम	
435.	जगदलपुर	जगदलपुर (अ)	94. कलचा *	कलचा	
436.				कुम्हरावण्ड	
437.				गरावण्ड खुर्द	
438.				नेगीगुड़ा	
439.				मोरठपल्ली	
				योग- 5 ग्राम	
440.			95. धुरगुड़ा *	धुरगुड़ा	
441.				गरावण्डकला	
442.				तुर्रेनार	
443.				भाटागुड़ा	
				योग- 4 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
444.			96. कुरंदी	कुरंदी	
445.				बाबूसेमरा	
446.				हाटपहरी सेमरा	
447.				तेली सेमरा	
448.				बुरुंदवाड़ा सेमरा	
				योग- 5 ग्राम	
449.			97. आड़ावाल *	आड़ावाल	
450.				कुसुमपाल	
451.				नकटीसेमरा	
452.				बिलोरी	
453.				करकापाल	
454.				चितापदर	
				योग- 6 ग्राम	
455.			98. जगदलपुर-1	हल्बाकचोरा	
456.				मंगडूकचोरा	
457.				शासनकचोरा	
				योग -3 ग्राम	
458.			99. फ्रेजरपुर *	फ्रेजरपुर	
459.				सरगीपाल	
460.				हाटकचोरा	
				योग- 3 ग्राम	
461.			100. जगदलपुर न. निगम	जगदलपुर देहात	
462.				अघनपुर	
463.				पखनागुड़ा	
				योग- 3 ग्राम	
464.			101. आसना *	आसना	
465.				तामाकोनी	
466.				कोहकापाल	
467.				बालीकोंटा	
468.				कोण्डाक्ल	
				योग- 5 ग्राम	
469.			102. घाटपदमूर	घाटपदमूर	
470.				कालीपुर	
471.				तितिरगांव	
				योग- 3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
472.			103. कंगोली *	कंगोली	
473.				कुम्हरावण्ड	
474.				पल्ली	
475.				धरमपुरा	
				योग- 4 ग्राम	
476.			104. पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	
477.				परपा	
478.				बिरींगपाल	
				योग-3 ग्राम	
479.			105. नियानार *	नियानार	
480.				जॉटम	
481.				डोंगाम	
482.				तुसेल	
483.				कोरपाल	
				योग -5 ग्राम	
484.			106. सांड़गुड़ *	सांड़गुड़	
485.				कुलगांव	
486.				उलनार	
487.				चिलकुहटी	
				योग- 4 ग्राम	
488.			107. पुसपाल	पुसपाल	
489.				जोंजल	
490.				धनियालूर	
				योग- 3 ग्राम	
491.			108. कावापाल *	कावापाल	
492.				आलकूर उर्फ ताईपदर	
493.				कालागुड़ा	
494.				गुमलवाड़ा	
495.				तिरिया	वनग्राम
496.				पुलचा	वनग्राम
497.				तोलावाड़ा	वनग्राम
498.				करकागुडा	विरान
499.				गाड़ाघाट	विरान
500.				चोररास	विरान
				योग- 10 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
501.			109. नेतानार	नेतानार	
502.				गुड़िया	
503.				चितलगुर	
504.				तामरवाड़ा	विरान
505.				कोलावाड़ा	
506.				मिलकुलवाड़ा	
507.				नागलसर	
508.				सुरुंदवाड़ा	वनग्राम
509.				चामपाल	विरान
510.				कुधुरवाड़ा	विरान
				योग- 10 ग्राम	
511.			110. बड़ेकवाली *	बड़ेकवाली	
512.				पराली	
513.				छोटेकवाली	
514.				चचालगुर	
515.				पोटियापाल	
				योग-5 ग्राम	
516.			111. हाटपदमुर	हाटपदमुर	
517.				सिड़गुड़	
518.				कैका उर्फ चेरबहार	
519.				कैकागढ़	
520.				बेंगलूर	
				योग -5 ग्राम	
521.			112. नानगुर	नानगुर	
522.				मांझीगुड़ा	
523.				अलनार	
				योग- 3 ग्राम	
524.			113. बड़ेमुरमा *	बड़ेमुरमा	
525.				छोटेमुरमा	
526.				छोटेबोदल	
527.				काकरवाड़ा	
528.				बड़ेबोदल	
				योग- 5 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
529.			114. जामावाड़ा	जामावाड़ा	
530.				छोटेबादाम	
531.				बड़ेबादाम	
532.				बिरनपाल	
533.				टोंडापाल	
534.				नवागुड़ा	
				योग- 6 ग्राम	
				कुल योग- 100	
535.	जगदलपुर	दरभा	115. छिंदबहार	छिंदबहार	
536.				कोयनार	
537.				माहकापाल	
538.				ककनार	
				योग-4 ग्राम	
539.			116. चिंगपाल	चिंगपाल	
540.				गाड़मगुड़ा	
541.				लेण्ड्रा	
542.				सेड़वा	
543.				केशापुर	
				योग -5 ग्राम	
544.			117. नेगानार	नेगानार	
545.				मंगनार	
546.				कामानार	
547.				पेदावाड़ा	
548.				मांझीपाल	
549.				चंद्रपाल	विरान
550.				कोटमसर	वनग्राम
551.				मावलीपदर	
552.				टोपर	
				योग- 9 ग्राम	
553.			118. चिड़पाल *	चिड़पाल	
554.				मादरकोंटा	
555.				बड़ेकड़मा	
556.				छोटेकड़मा	
				योग- 4 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
557.			119. चितापुर	चितापुर	
558.				अलवा	
559.				ढोढरेपाल	
560.				छोटेगुडरा	
				योग- 4 ग्राम	
561.			120. डिलमीली	डिलमीली	
562.				काटाकांदा	
				योग-2 ग्राम	
563.			121. केलाउर	केलाउर	
564.				टेमरुभाटा	
565.				गिदावारली	
566.				निलेगोंदीबोदेनार	
				योग -4 ग्राम	
567.			122. पखनार	पखनार	
568.			123. चंद्रगिरी	चंद्रगिरी	
569.				कटेनार	
570.				मामड़पाल	
571.				गुमड़पाल	
572.				मुनगा	
573.				मुसागुड़ा	
				योग- 6 ग्राम	
574.			124. छिंदावाड़ा	छिंदावाड़ा	
575.				करका	
576.				कोण्डालूर	
				योग- 3 ग्राम	
577.			125. दरभा *	दरभा	
578.				ककालगुर	
579.				तिरथगढ़	
				योग- 3 ग्राम	
580.			126. कोलेंग *	कोलेंग	
581.				कांदानार	
582.				छिंदगुर	
583.				मुण्डागढ़	
				योग- 4 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
584.			127. टांहकावाड़ा	टांहकावाड़ा	
585.				बेंगपाल	वनग्राम
586.				जुनापानी	वनग्राम
587.				कनकापाल	
588.				एलंगनार	
				योग- 5 ग्राम	
589.			128. कुकानार	कुकानार	
590.				छोटेगुरवे	
591.				बड़ेगुरवे	
				योग-3 ग्राम	
592.			129. कोड़रीपाल *	कोडरीपाल	
593.				इड़जेपाल	
594.				गाड़मरास	
				योग -3 ग्राम	
595.			130. कोकावाड़ा	कोकावाड़ा	
596.				जांगड़पाल	
597.				सौतनार	
				योग- 3 ग्राम	
				कुल योग- 63 ग्राम	

जगदलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक/37/भू-अ/स.अ.भू-अ-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़, भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं गणेश शंकर मिश्रा कलेक्टर जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील कोण्डागांव के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्रमांक	तहसील का नाम	रा. नि. सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोण्डागांव	फरसगांव	1. चनियागांव	चनियागांव	
2.				फुण्डेर	
3.				दावड़े	
4.				बड़ेओड़ागांव	
5.				बाढ़ागांव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.				बोकराबेड़ा	
7.				छोटेओड़ागांव	
8.				कोण्डापखना	
				योग- 8 ग्राम	
9.			2. देवगांव *	देवगांव	
10.				जामगांव	
11.				बंजोड़ा	
12.				छिंदलीबेड़ा	
13.				गवाड़ी	
				योग- 5 ग्राम	
14.			3. मोदे	मोदे	
15.				कन्हारगांव	
16.				मोदेबेड़मा	
17.				कोकोड़ा जुगानार	
18.				परोदा	
19.				उरंदाबेड़ा	
20.				नैट	
21.				मादागांव	
				योग- 8 ग्राम	
22.			4. कोनगुड़ *	कोनगुड़	
23.				बड़गई	
24.				बारंदा	
25.				मिसरी	
26.				आमगांव	
27.				कुलानार	
28.				कोलेंगा	
29.				हाटचपई	
30.				तुरकी	
31.				तोयपाल	
				योग- 10 ग्राम	
32.			5. चिंगनार	चिंगनार	
33.				रांधना	
34.				गोहड़ा	
35.				फरसगांव कसई	
36.				आलमैर	
37.				मैनपुर	
38.				फुटान चांदागांव	
39.				मोड़ेंगा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.				केहलाकोट	
41.				पलना	
				योग- 10 ग्राम	
42.			6. कोटपाड़	कोटपाड़	
43.				मड़कड़ा	
44.				गोड़मा	
45.				कोरई	
46.				तोरंड	
47.				बोथा	
48.				पावड़ा	
49.				खण्डसरा	
50.				भोंगापाल	
51.				झाकरी	
52.				आदवाल	
53.				चांदाबेड़ा	
54.				छिन्दी	
				योग- 13 ग्राम	
55.			7. बड़ेडोंगर	बड़ेडोंगर	
56.				वनचपई	
57.				चियानार	
58.				सदाड़ी	वनग्राम
59.				बंगोली	
60.				मोहपाल	वनग्राम
61.				दिगानार	वनग्राम
				योग- 7 ग्राम	
62.			8. आलोर *	आलोर	
63.				कोंदाबेड़ा	
64.				भंडारवण्डी	
65.				बैल	
66.				शंकरपुर	
67.				पैसरा	
68.				फुफगांव	
69.				भुमका	
70.				हिर्री	
				योग- 9 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71.			9. फरसगांव	फरसगांव कसाई	
72.				पासंगी	
73.				बानगांव	
74.				चिचाड़ी	
75.				पाटला	
76.				पतोड़ा	
77.				कोर्राबड़गांव	
78.				मांझीआठगांव	
				योग- 8 ग्राम	
79.			10. पाण्डे आठगांव *	पाण्डेआठगांव	
80.				गट्टीपलना	
81.				जुगदई	
82.				चरकई	
83.				चांदागांव	
84.				मोहलई	
85.				चांदाबेलगांव	
				योग- 7 ग्राम	
86.			11. कुल्हाड़गांव	कुल्हाड़गांव	
87.				सारबेड़ा	
88.				भण्डारसिवनी	
89.				जुगानीकलार	
90.				सिरपुर	
91.				गुमड़ी	
92.				बोरगांव	
93.				पश्चिम बोरगांव	
94.				सिंगारपुरी	
95.				चुरेगांव	
96.				भानपुरी	
				योग- 11 ग्राम	
97.			12. लंजोड़ा	लंजोड़ा	
98.				जैतपुरी	
99.				कबोंगा	
100.				कोसागांव	
101.				सोड़मा	
102.				कुम्हारबड़गांव	
103.				सिरसीकलार	
104.				कारागांव	
				योग- 8 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
105.	कोण्डागांव	माकड़ी	13. माझी बोरण्ड	केरावाही	
106.				मांझीबोरण्ड	
107.				बाडरा	
108.				बालोण्ड	
109.				हुक्काबेड़ा पाथरी	
110.				बिवला	
111.				काटागांव	
112.				जड़कोंगा	
				योग- 8 ग्राम	
113.			14. बरकई *	बरकई	
114.				नलाझर	
115.				सोनाबेड़ा	
116.				पुसापाल	
117.				कोटबेल	
				योग- 5 ग्राम	
118.			15. रांधना	रांधना	
119.				देवहरदुली	
120.				भिरागांव	
121.				भाटगांव	
122.				गुंहाबोरण्ड	
123.				देवडोंगर	
124.				गारे	
125.				उदेंगा	
126.				कोसाहरदुली	
127.				तारगांव	
				योग- 10 ग्राम	
128.			16. लुभा	लुभा	
129.				संडसा	
130.				तितना	
131.				ठेमगांव	
132.				कोकोड़ी	
133.				ओण्डरी	
134.				सोड़सिवनी	
135.				बागबेड़ा	
136.				खुड़ी	
137.				उलेरा	
				योग- 10 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
138.			17. जरण्डी	जरण्डी	
139.				पीढ़ापाल	
140.				अरंगुला	
141.				मगेदा	
142.				भतवा	
143.				ओटेण्डा	
144.				धारली	
145.				उड़ीदगांव	
146.				जोंधरा	वनग्राम
147.				ईगरा	
				योग- 10 ग्राम	
148.			18. माकड़ी	माकड़ी	
149.				भिरण्डा	
150.				उमरगांव	
151.				बेलगांव	
152.				हाड़ीगांव	
153.				बड़गांव	
154.				बुडरा	
155.				टेड़मुण्डा	
156.				लभा	
157.				दण्डवन	
				योग- 10 ग्राम	
158.			19. शामपुर *	शामपुर	
159.				भाटागांव	
160.				बवई	
161.				छोटेसलना	
162.				कावरा	
163.				करमरी	
				योग- 6 ग्राम	
164.			20. हिरापुर *	हिरापुर	
165.				हिरावण्डी	
166.				कुरलुबहार	
167.				मिरमिण्डा	वनग्राम
168.				सोड़मा	
169.				सोंहगा	
170.				बेलोंण्डी	
171.				तोरेंगा	
172.				बालेंगा	विरान
173.				तोरण्डी	
174.				राकसबेड़ा	विरान
175.				राकसबेड़ा	वनग्राम
				योग- 12 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
176.			21. छिनारी *	छिनारी	
177.				नेवरा	वनग्राम
178.				बड़ेसोहंगा	
179.				बेड़ागांव	
180.				छोटेसोहंगा	
181.				बिंजोली	
182.				छतोड़ी	
183.				किरमरी	वनग्राम
				योग- 8 ग्राम	
184.			22. बीजापुर	बीजापुर	
185.				हिरलाभाट	
186.				करण्डी	
187.				अमरावती	वनग्राम
188.				बड़ेअमरावती	विरान
189.				छोटे अमरावती	
190.				बड़ेघोड़सरा	
191.				छोटेघोड़सरा	
192.				तमरावण्ड	वनग्राम
193.				देवगांव	वनग्राम
194.				बेलगांव	वनग्राम
195.				दउरबाल	वनग्राम
196.				ओडारगांव	वनग्राम
197.				तरईबेड़ा	वनग्राम
198.				तुर्रेबेड़ा	वनग्राम
199.				अनतपुर	
200.				एरला	
201.				सिंवनी	
202.				गुमड़ी	
203.				गागड़ा	वनग्राम
				योग- 20 ग्राम	
204.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	23. मालगांव *	मालगांव	
205.				निलजी	
206.				कतावण्ड	
207.				भिरागांव अ	
208.				सिदावण्ड	
209.				सिंगनपुर	
210.				डोंगरसिलाटी	वनग्राम
				योग- 7 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
211.			24. चिपावण्ड	चिपावण्ड	
212.				उमरगांव	
213.				कुलझर	
214.				मुलमुला	
215.				फुकागिरोला	
216.				बड़ेसिलाटी	वनग्राम
				योग- 6 ग्राम	
217.			25. बफना	बफना	
218.				फरसगांव	
219.				नेवता	
220.				भगदेवा	
				योग- 4 ग्राम	
221.			26. डोंगरीगुड़ा	डोंगरीगुड़ा	
222.				पलारी	
223.				चिलकुटी	
224.				पल्ली	
225.				भोगाड़ी	
226.				सितली	
227.				इंदागांव	
				योग- 7 ग्राम	
228.			27. मसोरा	मसोरा	
229.				गिरोला	
230.				सातगांव	
231.				भिरागांव ब	
232.				देवखरगांव	
				योग- 5 ग्राम	
233.			28. बुनागांव *	बुनागांव	
234.				गुलमा	
235.				मालाकोट	
236.				चिचडोंगरी	
237.				उमरगांव अ	
238				बनसिरसी	
239.				केंवटी	
240.				दाढ़िया	
				योग- 8 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
241.			29. किवई बालेंगा	किवई बालेंगा	
242.				कोकोड़ी	
243.				चौड़ंग	
244.				पाला	
245.				कोदागांव	
246.				चिमड़ी	
247.				चलका	
248.				बनजुगानी	
249.				कराठी आलवाड़	
				योग- 9 ग्राम	
250.			30. कोण्डागांव अ	कोण्डागांव	
251.			31. संबलपुर	संबलपुर	
252.				चिखलपुटी	
253.				चिचपोलंग	
254.				दुधगांव	
				योग- 4 ग्राम	
255.			32. बनियागांव	बनियागांव	
256.				कुसमा	
257.				कचोरा	
258.				बम्हनी	
259.				कारसिंग	वनग्राम
260.				इसलनार	
261.				चमई	वनग्राम
262.				धनसुली	
				योग- 8 ग्राम	
263.			33. करंजी *	करंजी	
264.				बोलबोला	
265.				जरेबेंदरी	
266.				छोटेबंजोड़ा	
267.				कोकोड़ी	
268.				बड़ेभिरावण्ड	
269.				छोटेभिरावण्ड	
270.				लखनपुरी	
				योग- 8 ग्राम	
271.			34. बड़ेकनेरा *	बड़ेकनेरा	
272.				कमेला	
273.				बड़ेबेंदरी	
				योग- 3 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
274.			35. दहीकोंगा	दहीकोंगा	
275.				राणागांव	
276.				बाखरा	
277.				कुकाड़गारकापाल	
				योग- 4 ग्राम	
278.			36. जोबा	जोबा	
279.				बड़ेउसरी	
280.				सुकुरपाल	
281.				घोड़ागांव	
282.				माकड़ी	
283.				बनउसरी	वनग्राम
				योग- 6 ग्राम	
284.			37. मुनगापदर *	मुनगापदर	
285.				करनपुर	
286.				मोहलई	
				योग- 3 ग्राम	
287.	कोण्डागांव	मर्दापाल	38. सोनाबाल	सोनाबाल	
288.				बड़ेबंजोड़ा	
289.				बोटीकनेरा	
290.				पुसावण्ड	
291.				काकड़गांव	वनग्राम
				योग- 5 ग्राम	
292.			39. गोलावण्ड *	गोलावण्ड	
293.				ढोलमेंदरी	वनग्राम
294.				तातरी	वनग्राम
295.				बेतबेड़ा	वनग्राम
296.				खचगांव	
297.				बालासार	वनग्राम
298.				बोरगांव	
299.				झारा	
300.				मयूरडोंगर	वनग्राम
301.				करियाकाटा	
302.				मड़ानार	
303.				नगरी	
304.				खण्डाम	
305.				पोलंग	
				योग- 14 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
306.			40. बयानार	बयानार	
307.				जोगीआलवाड़	
308.				कोरहाबेड़ा	
309.				बांसगांव	
310.				तोड़म	
311.				बावड़ी	
312.				मड़ागांव	
313.				कोंगेरा	
314.				मुंगाली	
315.				तेलगा	
316.				टेमरुगांव	
317.				चेरंग	
				योग- 12 ग्राम	
318.			41. चेमा (हंगवा)	हंगवा	
319.				तोतर	
320.				केजंग	
321.				बड़को	
322.				मुंगवाल	
323.				रेंगागोदी	
324.				आदनार	
325.				आमगांव	
326.				चेमा	
327.				छोटेउसरी	
328.				मुलनार	
329.				नाहकानार	
330.				टिमेनार	
331.				कोहकाड़ी	
332.				नरिहा	
333.				पेरमापाल	
334.				मड़ानार	
				योग- 17 ग्राम	
335.			42. मर्दापाल	मर्दापाल	
336.				चांगेर	वनग्राम
337.				कांगा	
338.				बादालूर	
339.				मेड़पाल	वनग्राम
340.				नवागांव	
341.				मुलनार	
342.				खोड़सानार	
343.				बड़ेकुरुषनार	
344.				छोटेकुरुषनार	
345.				लखापुरी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
346.				पदेली	
347.				एहरा	
348.				छोटेकोडेर	
349.				गदनतराई	वनग्राम
				योग- 15 ग्राम	
350.			43. कड़ेनार	कड़ेनार	
351.				चिलम	
352.				बेचा	
353.				मदोड़ा	
354.				कुधुर	
355.				तुमड़ीवाल	
356.				राकसमेटा	
				योग- 7 ग्राम	
357.			44. मटवाल	मटवाल	
358.				मंगवाल	
359.				टेकापाल	
360.				पुंगारपाल	
361.				मालेम	विरान
362.				रानापाल	
363.				हासेल	
364.				हथकली	
365.				हड़ेली	
366.				एहकली	
367.				एरण्डवाल	
368.				मरकमपाल	
369.				हांदापाल	
				योग- 13 ग्राम	
370.			45. हसलनार *	हसलनार	
371.				पदनार	
372.				पुसपाल	
373.				कोहनार	
374.				जोड़ेंगा	
375.				खड़पड़ी	
376.				कोरमेल	
377.				परोदा	
378.				आदवाल	
				योग-9 ग्राम	

जगदलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक/38/भू-अ/स.अ.भू-अ-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़, भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं गणेश शंकर मिश्रा कलेक्टर जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील केशकाल के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्रमांक	तहसील का नाम	रा. नि. सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केशकाल	धनोरा	1. ईरागांव *	ईरागांव	
2.				उमला	
3.				चुरेगांव	
4.				कावागांव	
5.				सवालवाही	
6.				डुण्डाबेड़मा	
				योग- 6 ग्राम	
7.			2. बिंझे	बिंझे	
8.				कानागांव	
9.				कोरगांव	
10.				कलेपाल	
11.				पराली	
12.				बुयकीजुगानार	
				योग- 6 ग्राम	
13.			3. बड़ेखौली	बड़ेखौली	
14.				बिटालखौली	
15.				पड्डे	
16.				करमरी	
17.				बेलगांव	
18.				हिचका	
19.				तिमड़ी	
20.				कोटोड़ी	
21.				तोड़ासी	
22.				गदाड़	
23.				खालेबेदी	
				योग-11 ग्राम	
24.			4. धनोरा	धनोरा	
25.				कर्रारमेटा	
26.				भाटगांव	
27.				सवाला	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.				बनियागांव	
29.				सिलाटी	
30.				कोरकोटी	
31.				बदवर	
				योग- 8 ग्राम	
32.			5. कुए *	कुए	
33.				भण्डारपाल	
34.				मिड़दे	
35.				माड़गांव	
36.				कुमुड़	
37.				कुदाड़वाही	
38.				चेरबेड़ा	
39.				रावबेड़ा	
40.				बेड़मामारी	
41.				उपरचंदेली	
42.				उपरबेदी	
43.				गिरगाली	
44.				तुलारी	
45.				हुड़ावा	
46.				बावनीमारी	
				योग- 15 ग्राम	
47.			6. होन्हेड़	होन्हेड़	
48.				कुपागोंदी	
49.				घोड़ाझर	
50.				सेन्दूरमेटा	
51.				खालेचंदेली	
52.				मातेंगा	
53.				उमरादाह	
54.				उपरमुरवेण्ड	
				योग- 8 ग्राम	
				कुल योग- 54 ग्राम	
55.		केशकाल	7. खालेमुरवेण्ड	खालेमुरवेण्ड	
56.				ढोढरेपाल	
57.				फरसगांव उर्फ मुरनार	
58.				कुकड़ादाह	
59.				चिपरेल	
60.				माहुरबेड़ा	
61.				दादरगढ़	
62.				सालेभाट	
63.				हरवेल	
				योग-9 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64.			8. गौरगांव *	गौरगांव	
65.				कोहकामेटा	
66.				नलाझर	वनग्राम
67.				सिदावण्ड	
68.				मांझी चेर्रा	
69.				हलिया	
				योग- 6 ग्राम	
70.			9. केशकाल "अ"	केशकाल	
71.				बोरगांव	
72.				सुरडोंगर	
73.				गढ़ सिलयारी	
				योग- 4 ग्राम	
74.			10. केशकाल "ब"	जामगांव	
75.				कोदोभाट	
76.				ब्यालपुर	
				योग- 3 ग्राम	
77.			11. बटराली *	बड़ेबटराली	
78.				सरगीपाल	
79.				रांधा	
80.				गढ़धनोरा	
81.				तुमसकोनाड़ी	वनग्राम
				योग- 5 ग्राम	
82.			12. सिंगनपुर	सिंगनपुर	
83.				आंवरी	
84.				निराछिंदली	
85.				नारना	
86.				उंदरी	
				योग- 5 ग्राम	
87.			13. अड़ेंगा	अड़ेंगा	
88.				प्रधानचेर्रा	
89.				जरंडी	
90.				सिवनीपाल	
				योग- 4 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
91.			14. टोसकापाल *	टोसकापाल	
92.				गरावंडी	
93.				सिकागांव	
94.				सालेभाट	
				योग- 4 ग्राम	
95.			15. अरण्डी	अरण्डी	
96.				चारभाटा	
97.				पलोरा	
98.				बेड़मा	
99.				आदनबेड़ा	
				योग- 5 ग्राम	
100.			16. खेतरपाल *	खेतरपाल	
101.				नयानार	
102.				हरवाकोड़ो	
103.				नवागढ़	
				योग- 4 ग्राम	
104.			17. पीपरा	पीपरा	
105.				मसुकोकोड़ा	
				योग- 2 ग्राम	
				कुल योग- 51 ग्राम	
106.		बड़ेराजपुर	18. बड़ेराजपुर *	टेंवसा	
107.				कलगांव	
108.				बड़ेराजपुर	
109.				छोटेराजपुर	
110.				पांडोकी	
				योग- 5 ग्राम	
111.			19. कोरगांव	कोरगांव	
112.				कोंगेरा	
113.				सोनपुर	
114.				कोरहोबेड़ा	
115.				बैजनपुरी	वनग्राम
116.				आमागुहान	वनग्राम
				योग- 6 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117.			20. विश्रामपुरी	विश्रामपुरी	
118.				खल्लारी	
				योग- 2 ग्राम	
119.			21. विश्रामपुरी-1 *	कोसमी	
120.				गोविंदपुर	वनग्राम
121.				पेण्ड्रावन	
122.				पिटेचुवा	
123.				सरगीपाल	
				योग- 5 ग्राम	
124.			22. बाड़ागांव	हात्मा	
125.				बस्तर बुडरा	वनग्राम
126.				बाड़ागांव	
127.				मानिकपुर	
128.				कुरुभाट	
129.				होनावंडी	
130.				मचली	
131.				उड़ीदगांव	
				योग- 8 ग्राम	
132.			23. सलना	कौंदकेरा	
133.				छोटेमालगांव	
134.				सलना	
135.				पलना	
136.				चिचाड़ी	
				योग- 5 ग्राम	
137.			24. लिहागांव	लिहागांव	
138.				आमगांव	
139.				खजरावण्ड	
140.				पारोण्ड	
141.				मैनपुर	
				योग- 5 ग्राम	
142.			25. बांसकोट	मारंगपुरी	
143.				बांसकोट	
				योग- 2 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
144.			26. बालेंगा *	बालेंगा	
145.				किवड़ा	
146.				धामनपुरी	
147.				तरई बेड़ा हरबेल	
				योग- 4 ग्राम	
148.			27. कोपरा	छिंदली	
149.				कोपरा	
150.				माण्डोकी खरगांव	
151.				कलगांव उर्फ कलेपाल	
				योग- 4 ग्राम	
152.			28. बड़बत्तर *	बड़बत्तर	
153.				पीढ़ापाल	
154.				कुल्दाडीह	
155.				ढोढ़रा	
156.				नौकाबेड़ा	
				योग- 5 ग्राम	
157.			29. गम्हरी *	तितिरवण्ड	
158.				हल्दा	
159.				गम्हरी	
160.				जोड़ेकेरा	
161.				करमरी	
				योग- 5 ग्राम	
				कुल योग- 56 ग्राम	

जगदलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक/39/भू-अ/स.अ.भू-अ-2/हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़, भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं गणेश शंकर मिश्रा कलेक्टर जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील नारायणपुर के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्रमांक	तहसील का नाम	रा. नि. सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नारायणपुर	नारायणपुर	1. खड़कागांव *	खड़कागांव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.				परलभाट	
3.				सूपगांव	
4.				मंगरेल	
5.				खैराभाट	
6.				करलापाल	
				योग- 6 ग्राम	
7.			2. बिंजली	बिंजली	
8.				तेलसी	
9.				पालकी	
10.				पुसागांव	
11.				माहका	
				योग- 5 ग्राम	
12.			3. सुलेंगा *	सुलेंगा	
13.				गुरिया	
14.				खेड़गांव	
15.				टेमरुगांव	वनग्राम
16.				करलखा	
17.				कनेरा	
18.				मरदेल	
19.				पातुरबेड़ा	
20.				भरण्डा	वनग्राम
				योग- 9 ग्राम	
21.			4. एड़का	एड़का	
22.				इरको	
23.				बोरपांल	
24.				कानागांव	
25.				गरांजी	
26.				चिपरेल	
27.				दुगाबेंगाल	
				योग-7 ग्राम	
28.			5. नयानार *	नयानार	
29.				कुलानार	
30.				बोरावण्ड	
31.				आमासरा	
32.				पुंगारपाल	
33.				खड़कागांव	
34.				खुड़पई	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.				ताड़ोपाल	
36.				माहका	
				योग- 9 ग्राम	
37.			6. रेमावण्ड	रेमावण्ड	
38.				गोहड़ा	
39.				मलिंनार	
40.				कुदाड़गांव	
41.				उड़िदगांव	
42.				गुलुमकोड़ो	
				योग- 6 ग्राम	
43.			7. बेनूर	बेनूर	
44.				भिरागांव	
45.				भाटपाल	
46.				खरगांव	
47.				भुरवाल	
				योग- 5 ग्राम	
48.			8. कोलियारी	कोलियारी	
49.				नेतानार	
50.				कोरेण्डा	
51.				मातला	
52.				एड़ंगपाल	
53.				पानीगांव	
54.				सिरपुर	
55.				तुरठा	
				योग-8 ग्राम	
56.			9. फरसगांव	फरसगांव	
57.				मुण्डपाल	
58.				बेड़माकोट	
59.				आमगांव	
60.				माण्डोकी	
61.				कड़हागांव	
62.				हलामी मुंजमेटा	
63.				मरकाबेड़ा	
64.				कापसी	
65.				बावड़ी	
				योग- 10 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66.			10. टिमनार *	टिमनार	
67.				गरावण्ड	
68.				नाउमुंजमेटा	
69.				गरावण्ड उर्फ बागबेड़ा	
70.				सोनापाल	
71.				चांदागांव	
72.				सिवनी	
				योग- 7 ग्राम	
73.			11. देवगांव	देवगांव	
74.				नेलवाड़	
75.				लालसुहनार	
76.				छोटेसुहनार	
77.				तेरदुल	
78.				कस्तुरवाड़	
79.				गढ़बेंगाल	
80.				ब्रेहबेड़ा	
81.				कुम्हली	
				योग- 9 ग्राम	
82.			12. नारायणपुर	नारायणपुर	नगर पंचायत
83.			13. ब्रेहबेड़ा	ब्रेहबेड़ा	
84.				सरगीपाल	
85.				बम्हनी	
86.				मेटाडोंगरी	
87.				सोनपुर	
				योग-5 ग्राम	
88.			14. बाकुलवाही	बाकुलवाही	
89.				बेलगांव	
90.				कुकड़ाझोर	
91.				सीतापाल	
				योग- 4 ग्राम	
92.			15. बड़ेजम्हरी *	बड़ेजम्हरी	
93.				कोचवाही	
94.				बागडोंगरी	
95.				कोकोड़ी	
96.				खड़कागांव	
97.				बोरगांव	
				योग- 6 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98.			16. बोरण्ड *	बोरण्ड	
99.				गोटाजम्हरी	
100.				रेंगावेड़ा	
101.				करमरी	
102.				कोड़ोली	
103.				एकोड़ी	
104.				मोरसकोड़ो	
105.				गोगला	
106.				गोटाबेनूर	
107.				गुमियापाल	
108.				ताड़ोनार	
109.				परलभाट	
110.				मलेचुर	
111.				कुरुषनार	
112.				हिकोनार	
113.				तिरहुल	
114.				ढुटा	
				योग- 17 ग्राम	
115.	नारायणपुर	धौड़ई	17. महिमागवाड़ी	महिमागवाड़ी	
116.				कोंगेरा	
117.				झारा	
118.				कोशलनार	
				योग- 4 ग्राम	
119.			18. दण्डवन	दण्डवन	
120.				आदपाल	
121.				कलेपाल	
122.				छोटेफरसगांव	
123.				छिनारी	
124.				बागझर	
125.				कोण्डाहूर	
				योग-7 ग्राम	
126.			19. धौड़ाई	धौड़ाई	
127.				तोयानार	
128.				बांसपाल	
129.				दुड़मी	
130.				बोथा	
				योग- 5 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
131.			20. बड़गांव *	बड़गांव	
132.				तारागांव	
133.				कुम्हारीबड़ा	
134.				बड़कानार	
135.				पल्ली	
136.				आतरगांव	
137.				कनेरा	
138.				परपा	
				योग- 8 ग्राम	
139.			21. छोटेडोंगर	छोटेडोंगर	
140.			22. गौरदण्ड *	गौरदण्ड	
141.				उमरगांव	
142.				गुडरापाल	
143.				बांहकेर	
144.				रोताड़	
145.				चिहरा	
146.				चमेली	
				योग- 7 ग्राम	
147.			23. धनोरा *	धनोरा	
148.				हिकपुला	
149.				राजपुर	
150.				टेकानार	
151.				मड़मनार	
152.				बेड़मा	
153.				हिरगई	
154.				झारा	
155.				रायनार	
156.				ब्रेहबेड़	
157.				झोरीगांव	
				योग-11 ग्राम	
158.			24. मढ़ोनार	मढ़ोनार	
159.				कचोरा	
160.				कावानार	
161.				तुरुषमेटा	
162.				ब्रेहबेड़ा	
163.				हितुलवाड़	
164.				होड़नार	
165.				तोयामेटा	
166.				सुर्रेवाही	[illegible]
167.				गड़दापाल	
				योग- 10 ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
168.			25. सुलेंगा	सुलेंगा	
169.				टिरकानार	
170.				मड़ागड़ा	
171.				छोटेकुम्हरी	
172.				कोकपाड़	
173.				कन्हारगांव	
174.				टेमरुगांव	
175.				कोड़हेर	
176.				पदनार	
				योग- 9 ग्राम	

गणेश शंकर मिश्रा,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th May 2007

No. 197/Confdl./2007/II-1-1/2005.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13030/1/2007-US.II dated May 02, 2007 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Satish Kumar Agnihotri and Hon'ble Shri Justice Dilip Raosaheb Deshmukh, Additional Judges of High Court of Chhattisgarh have assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the afternoon of May 03, 2007.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.